

ग्राम पंचायत पलाहचकलू विकास खण्ड नगरोंटा बगवां, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश

के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2014 से 31-03-2017

भाग-एक

1 प्रस्तावना {क}:-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत पलाहचकलू, विकास खण्ड नगरोंटा बगवां, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सुदेश कुमारी	23-01-11 से लगातार

सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री आशीष सूद	30-05-12 से 20-12-15
2.	श्री बुद्धि सिंह	21-02-15 से 12-12-16
3.	श्री विजय सिंह	13-12-16 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम.संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशी {रुलाखों में }
1.	6	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.16
2.	7	अनुदानों का अवरोधन।	12.84
3.	8	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना खरीद	1.61

भाम दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत पलाहचकलू , विकास खण्ड नगरोंटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 01/4/2014 से 31/03/2017 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार सेही अनुभाग अधिकारी व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 22-01-2018 से 24 -01-2018 तक के दौरान पंचायत कार्यालय पलाहचकलू में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 02 /15 ,02/16 व 03/17 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 11/14,08/15 व 04/16 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत पलाहचकलू , विकास खण्ड नगरोंटा बगवां , जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर ₹5400 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:30 दिनांक 24-01-18 द्वारा सचिव, पंचायत पलाहचकलू से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत पलाहचकलू द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्रोत :- ग्राम पंचायत पलाहचकलू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक स्व स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	143438	46017	189455	41986	147469
2015-16	147469	19600	167069	4778	162291
2016-17	162291	99939	262230	8411	253819

{ख} अनुदान :-ग्राम पंचायत पलाहचकलू के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है ,जिसका विस्तृत विवरण सलग परिशिष्ट -1 में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	233644	1024103	1257747	862120	395627
2015-16	395627	1870494	2266121	1513883	752238
2016-17	752238	1557884	2310122	1026240	1283882

31-3-17 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	KCCB nagrota bagwan	20012008021	1329171
2.	HGB nagrota bagwan	88150100005891	24924
3.	HGB nagrota bagwan	88150100006030	93564
4.	HGB nagrota bagwan	88150100005907	50088
5.	HGB nagrota bagwan	88150100005882	47660
6.	HGB nagrota bagwan	88150100006021	145529
		CASH IN HAND	506
		TOATAL	₹1691442

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

(क)दिनांक 31-3-17 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख):-₹ :- ₹ 1537701

(ख)दिनांक 31-3-17 को बैंक अनुसार अन्त शेष :- ₹ 1691442

अन्तर ₹153741

अन्तर का कारण :-चैक जारी किए परन्तु 31-03-17 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए :-

दिनांक	चैक न०	व्यक्ति का नाम	राशि
14-03-17	696851	पुनी चन्द	7500
27-03-17	796453	देश राज	85343
27-03-17	796455	देश राज	13348
28-03-17	796456	स्वरूप चन्द	5580
28-03-17	796457	मोहिन्दर सिंह	5580
28-03-17	796458	सेठु राम	5580
28-03-17	796459	संदीप कुमार	5580
28-03-17	796460	राकेश कुमार	5220
28-03-17	796461	पंकज कुमार	5220
28-03-17	796462	मनोहर लाल	4774
28-03-17	796463	मनोहर लाल	1736
28-03-17	796464	स्वरूप चन्द	1440
28-03-17	796465	मोहिन्दर सिंह	1440
28-03-17	796466	सेठु राम	1440
28-03-17	796467	संदीप कुमार	1440
28-03-17	796468	राकेश कुमार	1260
28-03-17	796469	पंकज कुमार	1260
		जोड़	₹153741

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से मिलान न करना:-

ग्राम पंचायत पलाहचकलू की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि०प्र० पंचायती राज { वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः भविष्य में पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को न तैयार करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते } नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को बनाया जाना था जिसमे प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जानी थी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। परन्तु इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ नहीं किया गया। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

6 पंचायत राजस्व ₹0.16 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत की स्व-स्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31-3-17 गृहकर के रूप में ₹16000 की वसूली शेष थी, जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

गृहकर :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्रति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	14650	14650	14650	0

2015-16	0	15050	15050	15050	0
2016-17	0	16000	16000	0	16000

7 अनुदान ₹12.84 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना {परिशिष्ट-1} के अनुसार दिनांक 31-03-17 तक अनुदान ₹1283882 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वांछित होना पड़ा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा चर्चा के दौरान सचिव, ग्राम पंचायत पलाहचकलू को अवगत करवाया गया परन्तु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.61 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-2 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹161000 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 क्रय निर्माण सामग्री ₹1.50 लाख का भण्डार रजिस्ट्रों में इन्द्राज व जारी करने सम्बन्धित ब्यौरा प्रस्तुत न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व 72 (1) (ए, बी, सी, व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25, 26, 27, व 28 में लेखांकन किया जाना है। परन्तु पंचायत के अवधि 1.4.2014 से 31.3.2017 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों की नमूना जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** पर दिए गए विवरणानुसार **₹149900** की निर्माण सामग्री के क्रय को भण्डार पुस्तक में दर्ज नहीं किया गया है, जोकि एक गम्भीर मामला है। अतः उक्त क्रय निर्माण सामग्री की सम्बंधित स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए।

10 विहित रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट करे तथा अतिशीघ्र इन रजिस्ट्रों/अभिलेख का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	मोबाइल टावर रजिस्टर
2.	चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर
3.	निर्माण कार्यों का रजिस्टर
5.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर
6.	रसीद बुक रजिस्टर
7.	खाताबही

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 विविध अनियमितताएं :- ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि० प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए) (1) के

अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही।

- 13 लघु-आपति विवरणिका:-लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।
- 14 निष्कर्ष :-लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881

पृष्ठांकन संख्या:- फिन (एल०ए०) एच (पंच) (15)(2)190 / 2018 खण्ड—1—3340—3343 दिनांक 14.05.2018 शिमला—09

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि०प्र०, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि०प्र०
- 3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा हि०प्र०
- पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत पलाहचकलू, विकास खण्ड नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि०प्र०) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता /—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009
फोन नं० 0177—2620881